

प्रेसनोट दिनांक 05.01.2021

- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री यशवंत द्विवेदी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनूप कुमार पुत्र मुन्नालाल नि0 1003 लाइट गेट चौक थाना को0नगर अयोध्या आदि 06 नफर गिर0-05 अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना व पकड़े जाना। मौके से 4 अदद मोबाइल फोन 1 अदद सट्टा बुक, 11 अदद सट्टा पर्ची, 01 अदद सट्टा डायरी, 02 अदद कलम तथा मालफड 2100 रुपये व जामा तलाशी 460 रुपये बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर मु0अ0सं0 79/21 धारा 419, 420 भादवि व 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नरसिंह मांझी पुत्र जगदम्बा नि0 गोडियाना तिहुरा मांझा थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 55/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कृष्ण कसौधन पुत्र सीताराम नि0 शंकरगढ़ थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 56/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी श्री विवेक वर्मा पुत्र रामाज्ञा वर्मा नि0 बड़ी देवकाली थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमर कपूर पता अज्ञात आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 11/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी श्री हरिओम पाण्डेय पुत्र केशरी नन्दन पाण्डेय नि0 ईशापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्याम कुमार पाण्डेय उर्फ मुल्लर पुत्र घनश्याम पाण्डेय नि0 ईशापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 42/21 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी आरक्षी मनीष कुमार थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अर्जुन पुत्र राम शरन नि0 चिरकिटहा थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर0अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 43/21 धारा 60 आबकारी अधि0 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गंगाराम वर्मा पुत्र राम धनी वर्मा नि0 कामापुर कादीपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 33/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी श्री अरविन्द कुमार गोस्वामी पुत्र स्व0 काली प्रसाद नि0 सारंगपुर बिसौली थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गौतम प्रसाद पुत्र स्व0 काली प्रसाद नि0 सारंगपुर बिसौली थाना रौनाही अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 54/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील कुमार पुत्र राम बचन गौड़ नि0 केशरुआ थाना तारुन अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 33/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इरफान पुत्र जमील अहमद नि0 पतलहिया धौरहरा कुटी थाना तारुन अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 34/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी श्री बृजेश तिवारी पुत्र अरुण कुमार तिवारी नि0 जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 क्यू 6546 मोटर साइकिल का चालक आशीष यादव पुत्र गंगाराम यादव नि0 पूरे नेवाज तिवारी थाना इनायतनगर अयोध्यावाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता का गम्भीर रूप से घायल हो जाना व मो0सा0 क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 43/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अवधेश कुमार पुत्र श्रीप्रसाद नि0 पाठक का पुरवा देवकली माफी थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 44/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जगदेव पुत्र छेदीलाल नि0 मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 45/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी श्री आलोक कुमार पुत्र सुखदेव नि0 इसौली भारी थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अश्वनी कुमार पुत्र दिनेश कुमार नि0 इसौली भारी थाना कुमारगंज अयोध्यापुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 37/21 धारा 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.01.21 को वादी श्री हरीलाल रैदास पुत्र गुड्डू नि0 इमामगंज थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द पुत्र राम प्यारे नि0 इमामगंज थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 38/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।